मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0एल0एन0ए0 की अध्यक्षता में दिनांक 17.06.2016 को स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी के सभागार कक्ष में रामगंगा कमाण्ड के क्षेत्रीय उप निदेशकों/भूमि संरक्षण अधिकारियों, अवर अभियन्ता के साथ सम्पन्न बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त

बैठक में श्री वरूण कुमार मिश्र, अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, शारदा सहायक समादेश, श्री उग्रसेन शाही, संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, उ0प्र0शासन तथा रामगंगा कमाण्ड के क्षेत्रीय उप निदेशकों/भूमि संरक्षण अधिकारियों, अवर अभियन्ता द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक के दौरान एजेन्डावार समीक्षा की गयी तथा योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये, जिसका कार्यवृत्त निम्नवत् हैः–

1. गत बैठक की कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या मात्र मेरठ, बिजनौर, चित्रकूट आदि कुछ इकाईयों से ही प्राप्त हुई है। कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या सभी मण्डल/इकाईयों से अपेक्षित थी। अनुपालन आख्या के अभाव में गत बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन की स्थिति ज्ञात नहीं हो पाती है। निर्देशित किया गया कि कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अनुपालन आख्या एसएलडीसी कार्यालय में अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।
2. बैठक में माह जनवरी, 2016 एवं अप्रैल, 2016 में एसएलएनए से डब्ल्यूसीडीसी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि को डब्ल्यूसी एवं पीआईए को अवमुक्त करने की समीक्षा की गयी। ज्ञात हुआ कि जनपद बुलन्दशहर एवं रामपुर में अभी तक दोनों किश्तों की धनराशि डब्ल्यूसीडीसी से अवमुक्त नहीं हो पायी है तथा जनपद औरैया, झांसी, जालौन, बांदा सहित अन्य कई जनपदों में अभी तक माह अप्रैल, 2016 में दी गयी धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि इन जनपदों से डब्ल्यूसीडीसी में उपलब्ध धनराशि तत्काल एसएलएनए में वापस कराने की कार्यवाही की जाये तथा अच्छी प्रगति वाले जनपदों में इस धनराशि को प्रेषित करते हुये उपभोग सुनिश्चित कराया जाये।
3. उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मई, 2016 तक कराये गये कार्यों एवं उपभोग की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, फिरोजाबाद, एटा, बागपत, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा एवं चित्रकूट की भूमि संरक्षण इकाईयों में वाटरशेड विकास कार्य मद में अभी भी बड़ी मात्रा में धनराशि अवशेष है। रामपुर को छोड़कर अन्य भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस मद में उपलबध धनराशि के सापेक्ष कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। मापन, सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। माह जून, 2016 के अन्त तक सदुपयोग सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। भूमि संरक्षण अधिकारी जालौन द्वितीय श्री योगेन्द्र नाथ दूबे द्वारा अवगत कराया गया कि इस इकाई में कार्यरत अवर अभियंता श्री कमलापति गौतम समय से मापन कर भुगतान हेतु माप–पुस्तिका प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, साथ में यह भी अवगत कराया गया कि इन्हें पक्की संरचनाओं के मापन का ज्ञान भी नहीं है। इस

इकाई के कार्यों के मापन हेतु भूमि संरक्षण इकाई कोंच में कार्यरत अवर अभियंता श्री विनय कुमार मौर्या को अधिकृत करने का अनुरोध किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि श्री गौतम अवर अभियंता को निलम्बित करने तथा श्री मौर्या को इस इकाई के कार्यों के मापन हेतु अधिकृत करने का प्रस्ताव अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड को भेजा जाये। जनपद झांसी में वाटरशेड विकास मद में रू0 140.00 लाख, जनपद महोबा में रू0 118.00 लाख, जनपद चित्रकूट में रू0 126.00 लाख अवशेष है। भूमि सरंक्षण अधिकारी, झांसी द्वारा अवगत कराया गया कि समय से कार्य योजना प्रस्तुत नहीं होने के कारण अभी तक डब्ल्यूसीडीसी से धनराशि अवमुक्त नहीं हो पायी है। इसी प्रकार भूमि संरक्षण अधिकारी महोबा प्रथम द्वारा अवगत कराया गया कि महोबा तृतीय की कार्य योजना उपलब्ध नहीं होने के कारण माह अप्रैल में भेजी गयी धनराशि अवमुक्त नहीं करायी जा सकी। जनपद फर्रूखाबाद में वाटरशेड विकास कार्य में प्रदर्शित ऋणात्मक आहरण के सम्बन्ध में उप निदेशक, कानपुर से यह अपेक्षा की गयी कि इसका परीक्षण करके अवगत करायें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जनपद झांसी के अवर अभियंताओं को तथा जनपद महोबा के भूमि संरक्षण अधिकारी तृतीय को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने का निर्देश दिया गया, साथ ही सभी भूमि संरक्षण अधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी कि कार्य मद में माह अप्रैल, 2016 तक उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष तैयार कार्य योजना के अनुरूप कार्य पूर्ण कराकर उसका सदुपयोग 30 जून, 2016 तक सुनिश्चित करें, जो इकाईयां नियत अवधि में कार्य पूर्ण करने में असफल रहेंगी, उन इकाईयों के सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

4. विभिन्न जनपदों में कराये गये कार्यों के प्राप्त फोटोग्राफ्स बैठक में डिस्प्ले करके सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिखाया गया। कुछ जनपदों के फोटोग्राफ्स को देखने से तकनीकी दृष्टि से अच्छा कार्य होने की पुष्टि हुई लेकिन कुछ जनपद जैसे–आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, मुजफ्फरनगर आदि के फोटोग्राफ्स को देखने से तकनीकी दृष्टि से कार्य संतोषजनक नहीं था। कई जनपदों से मिशन मोड एवं वर्तमान में कराये जा रहे कार्यों के फोटोग्राफ्स एसएलडीसी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। समस्त उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि निर्मित करायी जा रही समस्त संरचनाओं का कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् के फोटोग्राफ्स जीपीएस इंबिल्ट कैमरे से लेकर एसएलडीसी के मेल पर उपलब्ध कराया जाये, साथ में जनपद आजमगढ़ से उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ्स की भांति खसरा नंबर आदि विवरण फोटोग्राफ्स में ऊपर दर्शाया जाये। फोटोग्राफ्स इस प्रकार लिये जायें कि कार्य कराने के पूर्व एवं पश्चात् के फोटोग्राफ्स का आसानी से मिलान किया जा सके तथा फोटोग्राफ्स में संरचना की पूरी तस्वीर साफ–साफ दिखायी दे, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रथम दृष्टया फोटोग्राफ्स में कार्य तकनीकी एवं उपयोगिता की दृष्टि से संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में इसकी जांच एसएलएनए स्तर से गठित टीएसी भेजकर करायी जायेगी।

5. सभी इकाईयों से परियोजनावार विभिन्न लाभग्राही वर्गो के लिए प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास आधारित कार्य योजना मांगी गयी थी, जिसमें जनपद झांसी को छोड़कर

अधिकांश जनपदों द्वारा कार्य योजना नहीं भेजे जाने पर महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया। इसी क्रम में निर्देश दिये गये कि कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग, पैकेजिंग जैसे–गुड़ की पैकेजिंग, सूजी बनाना, दलिया बनाना, अलसी (तीसी) के लड्डू बनाना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं हाइजेनिक प्रोसेसिंग तथा वैल्यूएडिशन पर प्रशिक्षण उचित होगा। सिलाई में पारम्परिक सिलाई की जगह मॉग आधारित व्यवसायिक सिलाई जैसे इम्ब्राइडरी, कढ़ाई, शूट, शेरवानी, ब्यूटी पार्लर आदि के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि यंत्रों यथा टैक्ट्रर, डीजल इंजन, सैन्ट्रफियूगल पम्प, स्प्रै मशीन, थ्रैसर आदि की रिपेयरिंग, मोटर साइकिल, टैम्पों, छोटे यातायात के वाहन की रिपेयरिंग का प्रशिक्षण उपयोगी रहेगा। इसके साथ ही वर्तमान समय में टेलीवीजन, फ्रीज, मोबाईल, कम्प्यूटर, आदि के प्रयोग को देखते हुए इनके रिपेयरिंग का प्रशिक्षण कराने पर बल दिया गया। कम्प्यूटर एवं टाइपिंग का प्रशिक्षण किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित होने की स्थिति में ही कराया जाये। इसके अतिरिक्त बागवानी तथा सगन्ध एवं औषधीय पौधों की वैज्ञानिक विधा से खेती का प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया। कुछ क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा तराई के जनपदों में मशरूम का प्रशिक्षण कराया जाना उचित होगा। सूक्ष्म उद्यम तथा पशुपालन आधारित गतिविधियों को भी प्रशिक्षण माड्यूल में सम्मिलित करते हुये प्रशिक्षण माड्यूल एवं एक्शन प्लान 10 दिन के अन्दर एसएलडीसी कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

6. माह मार्च, 2016 से पूर्व एसएलएनए द्वारा स्टेप एचबीटीआई, कानपुर, एसआईआरडी बक्शी का तालाब, लखनऊ एवं एएफसी, लखनऊ को प्रशिक्षण हेतु अधिकृत किया गया था। एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन (एएफसी) द्वारा अवगत कराया गया है कि जालौन द्वितीय, जालौन चतुर्थ, हमीरपुर, झांसी प्रथम आदि भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा माह मार्च, 2016 से पूर्व कराये गये प्रशिक्षण का भुगतान नहीं किया गया है। इस स्थिति पर खेद व्यक्त करते हुये मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि संस्थाओं द्वारा कराये गये प्रशिक्षण के विरूद्ध लम्बित देयकों का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित कर एसएलडीसी कार्यालय को अवगत करायें।

7. वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के अवशेष डीपीआर के लिए महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि डीपीआर से सम्बन्धित समस्त आंकड़े एसएलएनए को ई–मेल द्वारा अवश्य भेजे तथा सम्बन्धित संस्थाओं से सम्पर्क कर यथाशीघ्र डीपीआर तैयार करवाना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान महोदय द्वारा बताया गया कि एक मॉडल डीपीआर स्टेप एचबीटीआई कानपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो गुणवत्तापरक है, जिसका परीक्षण कर कुछ आवश्यक सुधार किया जा रहा है, जो अन्य डीपीआर बनाने में काफी सहायक होगा। जिन इकाईयों द्वारा डीपीआर के आंकड़ें अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है, उनको यथाशीघ्र पूर्ण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

8. समस्त जनपदों के विकास भवन, कलेक्ट्रेट आदि पर लगाये जाने वाले होर्डिग्स की स्थिति पर चर्चा की गयी, जिसमें प्रकाश में आया कि बुन्देलखण्ड के चित्रकूट, महोबा आदि जनपदों में आंधी के चलते होर्डिग्स क्षतिग्रस्त हो गये हैं, ऐसी स्थिति में मुख्य

कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी इकाईयां अपने जनपद के कराये गये कार्यो के अच्छे फोटोग्राफ्स भेजे, ताकि वर्तमान में बनने वाले होर्डिंग्स पर उन फाटोग्राफ्स को भी प्रदर्शित कराया जाये। यह ध्यान रहे कि समय–समय पर अपने जनपद के होर्डिंग्स की स्थिति का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही उन पीआईए को जिनके द्वारा मै0 क्रियेटर्स लैब का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें यथाशीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये गये।

9. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए डिस्ट्रिक्ट एरीग्रेशन प्लान (डी.आई.पी.) तैयार किया जाना है। निर्देशित किया गया कि जल पंचायत कार्यक्रम के दौरान कलस्टर आधारित योजना तैयार करायें। आगामी 12 जुलाई, 2016 से जनपदों में समग्र रूप से जल पंचायत का आयोजन होना है, जो वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की परियोजना क्षेत्र में आयोजित होगी। निर्देशित किया गया कि इस कार्य योजना का समय, स्थान आदि के साथ सूचना एसएलएनए को भेजना सुनिश्चित करें तथा वाटरशेड कमेटी एवं परियोजना के लाभार्थियों में जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिये गये। परियोजना क्षेत्र के जल संरक्षण में रूचि रखने वाले (ग्राम प्रधान एवं सचिव को छोड़कर) जागरूक व्यक्ति को कार्यक्रम के दौरान जल मित्र नियुक्त किया जायेगा। इस कार्य में एन.एस.एस. व एन.सी.सी. कैडेट्स को सम्मिलित करते हुये उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये। उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि झांसी, जालौन एवं चित्रकूट की डीआईपी बन चुकी हैं।

10. समीक्षा के दौरान बैठक में उपस्थित समस्त जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारी/अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया कि पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) आगामी 01 जुलाई, 2016 से प्रदेश में लागू हो जायेगी। अतः 30 जून, 2016 तक सभी प्रकार के भुगतान आदि को पूर्ण कर लिया जाये। 01 जुलाई, 2016 से सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से ही किये जायेंगे। साथ ही समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) से सम्बन्धित एकाण्टस के लिये प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए समस्त लेखाकार इसके पासवर्ड आदि की पूर्ण जानकारी अपडेट कर लें, ताकि आगे किसी भी प्रकार की गलती न होने पाये। साथ ही भूमि संरक्षण अधिकारियों/अवर अभियन्ताओं को भी पीएफएमएस का प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

समीक्षा के दौरान बैठक में उपस्थित समस्त जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारी/अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित जनपदों के प्रत्येक परियोजना में सम्पादित कार्यो की एम0आई0एस0 फीडिंग प्रत्येक दशा में अपडेट कराना अत्यन्त आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

11. समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि कई इकाईयों द्वारा डब्ल्यूडीटी आदि कार्मिकों के विषय में सेवा प्रदाता को सीधे संस्तुति भेज कर नियुक्ति कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रक्रिया सही नहीं है। निर्देशित किया गया कि जहां भी कार्मिक रखने की आवश्यकता है, उसकी सूचना एसएलडीसी कार्यालय को दिया जाये। एसएलडीसी कार्यालय से कार्मिक नियुक्त कराने के सम्बन्ध में यथोचित कार्यावाही की जायेगी। किसी भी दशा में सीधे, भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा कार्मिक नियुक्त न कराये जायें। नियुक्त कार्मिकों को नियमित मानदेय का भुगतान किया जाये। यदि किसी

इकाई में मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है तो इसकी सूचना तत्काल एसएलडीसी कार्यालय को दिया जाये, ताकि इस स्तर से समुचित प्रबन्ध किया जा सके।

12. समीक्षा के दौरान संयुक्त निदेषक, एसएलएनए/समादेश बन्धु द्वारा वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर की जल संचयन क्षमता तथा इन संरचनाओं की सिंचन क्षमता के निर्धारण की विधा समझायी गयी, साथ ही इन संरचनाओं से लाभान्वित कृषकों की संख्या ज्ञात कर आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भारत सरकार एवं राज्य सरकार स्तर पर इस प्रकार की निर्मित संरचनाओं में जल सम्भरण क्षमता, सिंचन क्षमता एवं लाभान्वित कृषकों की सूचना की मांग की जाती है, जिसे उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक माह एसएलडीसी कार्यालय में इसकी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

13. सभी भूमि संरक्षण अधिकारियों को समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है कि वाटरशेड डेवलपमेंट कार्यों के कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् के फोटोग्राफ्स जीपीएस इंबिल्ट कैमरे से लेकर एसएलडीसी कार्यालय को मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाये, किन्तु अब तक की प्रगति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश इकाईयों में मोबाइल कैमरे से लिये गये फोटोग्राफ्स ही फेसबुक पेज पर अपलोड किये गये हैं एवं एसएलडीसी कार्यालय के मेल पर भी कुछ इकाईयों द्वारा भेजे गये हैं। इस प्रकार के भेजे गये फोटोग्राफ्स में लोकेशन डिटेल नहीं होता है, जिससे कार्य किस परियोजना क्षेत्र में किस स्थान का है ज्ञात नहीं हो पाता है। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि लोकेशन डिटेल के साथ जीपीएस इंबिल्ट कैमरे से लिये गये फोटोग्राफ्स ही एसएलडीसी को मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा फेसबुक पेज पर भी अपलोड करें, ताकि उसकी नियमित समीक्षा किया जा सके एवं अन्य उच्च स्तर पर समीक्षा हेतु उसका प्रस्तुतीकरण भी सम्भव हो सके, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक संरचना का निर्देशानुसार फोटोग्राफ्स अवश्य उपलब्ध कराया जाये, जिन संरचनाओं के फोटोग्राफ्स मेल पर उपलब्ध नहीं होंगे उनका निर्माण संदिग्ध माना जायेगा।

14. डब्ल्यूसीडीसी के टेक्निकल एक्सपर्ट एवं डब्ल्यूडीटी को प्रत्येक माह यात्रा भत्ता की निर्धारित धनराशि का भुगतान करने के निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन कार्मिकों को नियमित भुगतान नहीं हो पा रहा है। निर्देशित किया गया कि कार्मिकों को नियत यात्रा का भुगतान वांछित औपचारिकता पूर्ण करते ही तत्काल कर दिया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सम्बन्धित अधिकारी की कदाश्यता मानी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर बैठक में चर्चा की गयी तथा निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

क. वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की स्वीकृत प्रत्येक परियोजना में एक–एक आदर्श ग्राम चयनित किये गये हैं। निर्देशित किया गया कि चयनित आदर्श ग्राम में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करायी जाये। इसके लिये क्षेत्र विशेष की आवश्यकता का ध्यान रखकर कृषि यंत्रों का चुनाव किया जाये।

ख. क्षेत्र के प्रभावशाली, साधन सम्पन्न एवं सामाजिक कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों से आदर्श ग्राम एवं क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली संरचनाओं को गोद लेने की अपील की जाये, ताकि दीर्घ काल तक इनका संरक्षण हो सके।

ग. क्षेत्र में निर्मित वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स एवं तालाबों के किनारे तथा आस–पास वृक्षारोपण का कार्य कराया जाये। कच्ची संरचनाओं के स्लोपी भाग पर पामा रोजा एवं लेमन ग्रास जैसी अधिक लाभ देने वाली घास का रोपण कराया जाये। इस सम्बन्ध में बायो–इनर्जी मिशन के निदेशक श्री पी0एस0 ओझा द्वारा तालाबों के किनारे प्लान्टेशन के तैयार मॉडल पर चर्चा की गयी एवं उपस्थित अधिकारियों को वितरित भी किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा तालाब के कम से कम दो कार्नर पर इम्बैकमेंट के बाहर आवश्यक रूप से बांस लगाने की सलाह दी गयी, जो तालाब को कटाव से बचायेगा तथा उपभोक्ता वर्ग को इसका लाभ भी प्राप्त होगा।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

ह0

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्यालय– स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित वॉटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम
परती भूमि विकास विभाग
एल्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष– 0522–4005337, 4113437 ई–मेल–sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक– 267 /एसएलडीसी/2016–17 दिनांक 25 जून, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड, पाण्डुनगर, कानपुर।
3. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, शारदा सहायक समादेश, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सम्बन्धित उप निदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
7. प्रशासनिक अधिकारी, एसएलएनए, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी